5.6.19 पत्रावली पेश। वकील वादीगण उप० हैं। वकील वादीगण की बहस सुनी। सोपित बहस वकील वादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराया।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादपत्र के कथन, वाँच्छित अनुतोषादि, प्रस्तुत साक्ष्य आदि पर सम्यक विधिसंगत विचार किया।

तनकीह प्रथम-1 वादग्रस्त भूमि वाकै मौजा जुल्मी खसरा नं० 454, 455 किता 2 रकबा 3.42 हेक्टर के वादीगण अभिलिखित खातेदार आसामी दर्ज हैं अर्थात उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण की हैसियत धारा 5(43) एवं धारा 14 R.T.Act में वर्णित आसामी की है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त उक्त आराजियात से किसी तरह

नम्बर ... अहका... हुक्म ...रीख में ज... हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का सरोकार प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाणित नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर बिना विधि अधिकार के वादीगण के विरुद्ध मदाखलत, मजाहमत की जाती है, तो इससे उन्हें ऐसी क्षति होना संभाव्य है, जिसका मुद्रा के रूप में आंकलन किया जाना संभव नहीं थी साथ ही साथ इस कृत्य की निरन्तरता से प्रकरण वर्णित भूमि के संबंध में वादबाहुल्य की संभावना है।

प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार करने के उपरान्त हम यह पाते है, कि वादीगण द्वारा बाबत अनुतोष वादपत्र को प्रमाणित किया है। फलतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि प्रतिवादी नं. 1 बारानी भूमि वाके माल मौजा जुल्मी खसरा नं० 454 व 455 पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करे और न जरिये एजेन्ट करावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.6.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया।

(चिमनलाल मीणा)
R.A.S.

डिकरी बमुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
व इजलास चिमनलाल मीणा (R.A.S.)
इन्द्रजीत बनाम भैरा

दावा बाबत 188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा न 1676 सन 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू चिमनलाल मीणा (R.A.S.)
व हाजरी श्री रामगोपाल कुल्मी एड० मिनजानिब मुद्दई व एक तरफा
मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादीगणा स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादी नं० 1 वादग्रस्त भूमि वाके माल मौजा जुल्मी खस० नं० 454, 455 पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करें और न जरिये एजेन्ट करावें।

नीज — मुबलिग — बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 06 सन 2019 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुहर

मुदई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया
स्टाम्प अर्जीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफर्रिक	
मुतफर्रिक	....				
मीजान	....	—	\	मीजान	—

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। बाद खर्च पक्षकार स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner